NCRPS No. 5543/2019

दिनांकः .0 .2019

संः 797-ई/पालिसी/2019/ED

अपर महाप्रबंधक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष / उमरे / इलाहाबाद । वरि.उप महाप्रबन्धक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मु.प्रशा.अधि / निर्माण / उ.म.रे. / इलाहाबाद । चेयर मैन / आर. आर.सी. / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.का.अधि. / राज / आई.टी. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । वरि.का.अधि. / राज / आई.आर. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । वरि.का.अधि. / राज / आई.आर. / मुख्या / उ.म.रे. / इलाहाबाद । मंडल रेल प्रबन्धक / कार्रिक / उ.म.रे. / इलाहाबाद । अगरा एवं ऑसी । मुख्य कारखाना प्रबन्धक / उ.म.रे. / तेन रिप्रंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर) । उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक / उ.म.रे. / झॉसी । उप मु.अमि / सीपीओएच / उ.म.रे. / इलाहाबाद । उप मु.अमि. / सीएसपी / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — सु.अमि. / सीएसपी / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — स्वितिल ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य — हिनेंग सेन्टर / उ.म.रे. / इलाहाबाद । प्रधानाचार्य — वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — वेसिक ट्रेनिंग सेन्टर हिनेंग सेन्टर / उमरे / कानपुर । प्रधानाचार्य — परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — एरानोन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर / उमरे / झॉसी । प्रधानाचार्य — इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर / टीआरडी / झॉसी । प्रधानाचार्य — इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर , कानपुर । मु. प्र. अधि. / आईआरपीएमयू / नई दिल्ली । उप मुख्य इंजी / ब्रिज / लाईन / इलाहाबाद ।

Sub: Educational facilities for wards of Shayaks (Licensed Porters) उपरोक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2019/ED-2/2 दिनांक 08.03.2019 की प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

(V.P.Singh) SPO/HQ

For General Manager/P

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

मुख्य कार्यालय अँधीक्षक / कैडर / अराज एवं राज / उमरे / इलाहाबाद ।

2. कार्यालय अधीक्षक / यूनियन सेल / उमरे / इलाहाबाद।

3. कार्यालय अधीक्षक / गोपनीय अनुभाग / उमरे / इलाहाबाद ।

4. महामंत्री, एन सी आर ई एस/उमरे/इलाहाबाद।

महामंत्री, एन सी आर एम यू/उमरे/इलाहाबाद।

6. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए/उमरे/इलाहाबाद।7. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन/उमरे/इलाहाबाद।

महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन / उमरे / इलाहाबाद ।

11/2/19

PCPC 17/2/19

RBL-2019-628

GOVERNMENT OF INDIA (**भारत सरकार**) MINISTRY OF RAILWAYS (**रेल मंत्रालय**) RAILWAY BOARD (**रेलवे बोर्ड**)

No. E(W)2019/ED-2/2

New Delhi, dated 08.03.2019

The General Manager (P), All Indian Railways & Production Units

Sub: Educational facilities for wards of Sahayaks (Licenced Porters)

In partial modification of Board's letter No. E(W)95SC2-28 dated 13.07.95 (copy enclosed) regarding free educational facilities to the wards of Sahayaks (erstwhile Licenced Porters), Ministry of Railways have now decided that the wards of Sahayaks may be permitted free educational facilities in the schools run by the Railways and Railwaymen's Organisations/Mahila Samitis at any station in the Division where they are working.

DA: As above

12/03/19

(D. V. Rao) Director Estt. (Welfare) Railway Board

বুকাৰিত (ব্ৰহাত)
বুকাৰিত (ব্ৰহাত)
বৰ পুকাৰিত (ব্ৰহাত)

AM 24/4/19.

Cro

NO.E(W)95SC2-28

New Delhi, dated 13.7.95

The General Managers
All Indian Railways &
Production Units & RDSO.

Sub: Extension of free educational facilities to the wards of Licenced Porters in the schools run by the Railways/Railwaymen Organisations/Mahila Samities.

Consequent upon the announcement made by Hon'ble Minister of Railways in the Budget Speech for the year 1995-96, it has been decided that free educational facilities should be extended to the wards of Licenced Porters in the schools run by Railways and Railwaymen's Organisations/Mahila Samities. This should be given wide publicity among the Licenced Porters so that they can avail of this facility.

- The schools run by Mahila Samities and Rail-waymen's Organisations should be suitably advised in the matter. It may happen that these schools may have to incur some expenditure in imparting free education to wards of Licenced Porters. In such cases, the schools may be suitably compensated by grants-in-aid as provided under the Rules.
- 3. Receipt of this letter may please be acknowledged.

(B.S. DAHIYA)
DY. DIRECTOR/ESTT.(WELFARE)
RAILWAY BOARD

RAILWAY BOARD